जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 03.04.2024**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 03.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 14.02.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना कोतवाली शामली पर अज्ञात के विरुद्ध लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सूरज पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम बरैनी थाना कछुवा जनपद मिर्जापुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3.म0का0 शीतल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार :-

आज दिनांक 03.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे जिलाबदर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त मोहसीन उर्फ मौसीन उर्फ हांडा को सत्यापन की कार्यवाही में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभियुक्त को जिलाधिकारी शामली के आदेश दिनांक 12.02.2024 से 03 माह के लिये जिलाबदर घोषित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मोहसीन उर्फ मौसीन उर्फ हांडा पुत्र नसीम उर्फ भूरा निवासी मौहल्ला हाजीपुरा थाना कोतवाली शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मु0अ0सं0 175/2024 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुन्डा अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 358/2022 धारा 307/323/324/504/506 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 410/2022 धारा 307/506 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री युनूस खान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.है0का0 सोहित कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.है0का0 योगेन्द्र कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 03.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी किये हुए गैस सिलेण्डर, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 03.04.2024 को वादी श्री राजू सैनी पुत्र नकली सैनी निवासी मौहल्ला रौगनग्रान थाना थानाभवन जनपद शामली ने अपने गोदाम से गैस सिलेण्डर किसी अज्ञात चोर द्वारा मोटरसाइकिल को चोरी करने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.आशीष पुत्र पप्पन निवासी ग्राम खेडागदाई थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया हुआ इण्डेन गैस सिलेण्डर

2.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

3.घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल HR10AG9783

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.का0 पिन्टू कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.का0 मुकेश कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 03.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 30.03.2024 को थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.प्रवेश पुत्र जनदीप निवासी ग्राम दखौडी जमालपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री जयप्रकाश थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.है0का0 यशपाल सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मालैण्डी में गुमशुदा युवक की हत्या करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त फावडा बरामद :-

ज्ञात हो दिनांक 24.03.2024 को श्रीमती अंजली पत्नी अंजुल निवासी ग्राम मालैण्डी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली द्वारा अपने पति अंजुल पुत्र जनकराज के गुमशुदा होने के सम्बन्ध में थाना गढ़ीपुख्ता पर तहरीर दी थी। वादिया की तहरीर के आधार पर थाना गढ़ीपुख्ता पर गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा की तलाश हेतु प्रयास किये जा रहे थे। थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 28.03.2024 को अभियुक्त रवि उर्फ टिल्लू पुत्र सुरेशचन्द निवासी ग्राम मालैण्डी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उसने, अपने दो अन्य साथी रुपेश व सबी के साथ मिलकर दिनाँक 24.03.2024 को अंजुल पुत्र जनकराज की शराब पीने को लेकर मारपीट कर हत्या कर शव को हनीफ के साथ मिलकर खेत में दबा दिया था। अभियुक्त रवि उर्फ टिल्लू की निशांदेही पर थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा मृतक के शव को ग्राम मालैण्डी में खेत से बरामद कर मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन एकत्र करते हुये पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी तथा घटना के सम्बन्ध में थाना गढ़ीपुख्ता पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये घटना में लिप्त अन्य अभियुक्त रवि उर्फ टिल्लू, रुपेश व हनीफ को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.04.2024 को थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मालैण्डी में गुमशुदा युवक की हत्या करने के मामले में वांछित अभियुक्त सबी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सबी पुत्र रामपाल उर्फ फुदल निवासी ग्राम मालैण्डी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।
2.उ0नि0 श्री रामेन्द्र सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
3.का0 सचिन शर्मा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
4.का0 सोनू थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में गौकशी के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2008 में अभियुक्त तौफिक पुत्र गफूरा निवासी ग्राम बुन्टा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरूद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 380/2008 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था। **जिसके क्रम में आज दिनांक 03.04.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना, शामली द्वारा धारा** 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई गई अवधि (13.11.08 से 24.12.08) के कारावास की सजा व 5000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.तौफिक पुत्र गफूरा निवासी ग्राम बुन्टा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI